28/06/08 दैनिक जागरण

www.jagran.com

तार टूटा, तीन राष्ट्रीय पक्षी मरे

कानपुर नगर निगम

PH- 0512-2531215, 2551416 FAX- 0512-2531662
E-mail- Kanpur_nagar.nigam@yahoo.co.in

सामान्य कर निर्धारण-2008

कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु आवासीय/अनावासीय भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों से स्वकर निर्धारण हेतु सरल कर प्रपत्र (प्रपत्र 'ख')/विवरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु

आवश्यक सूचना

कानपुर नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों/अध्यासियों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कानपुर में पिछला सामान्य कर निर्धारण वर्ष 1987 में हुआ था। नगर निगम अधिनियम की धारा 174 एवं 207 में हुए संशोधन के पश्चात आवासीय भवनों हेतु उ. प्र. नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली-2000 प्रचलित है। इस नियमावली में आवासीय भवनों के स्वकर निर्धारण का प्राविधान किया गया है। नियमावली के नियम 3 के उपनियम (1) में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी, भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा सरल कर प्रपत्र (प्रपत्र 'ख') में यथास्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के संबंध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरणी कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की व्यवस्था है।

नियमावली के नियम 5 में कर निर्धारण सूची उपनियम (1) (क) के अनुसार भवन स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'ख' (सरलकर) पर प्रस्तुत किए गये विवरण के आधार पर या उपनियम (1) (ख) के अनुसार नियत समय के भीतर प्रपत्र 'ख' में सूचनाएं न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर तैयार किए जाने का प्राविधान है।

सामान्य कर निर्धारण वर्ष- 2008 की कर निर्धारण सूची तैयार करने हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त भवन/भूखण्ड के स्वामियों से 01 जुलाई, 2008 से 31 जुलाई 2008 तक कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवासीय भवनों/भूखण्डों के स्वामियों/अध्यासियों से प्रपत्र 'ख' (सरल कर प्रपत्र) में तथा अनावासीय भवनों/भवनों के भाग के सम्बन्ध में कर की गणना करके विवरण नगर निगम अधिनियम की धारा-222 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इस हेतु सभी प्रपत्र वार्ड के निरीक्षक तथा मुख्यालय स्थित जोन कार्यालय अथवा कर संग्रह केन्द्र से प्राप्त किये जा सकते हैं। नियत तिथि 31 जुलाई 2008 तक जिन भवनों/भूखण्डों की सूचना नहीं प्राप्त होगी उनका सर्वे नगर निगम के द्वारा करके प्रस्तावित कर निर्धारण सूची तैयार की जाएगी।

निर्धारित अवधि में उपरोक्त प्रपत्र देयकर तथा बकाया वार्ड के राजस्व निरीक्षक के पास अथवा नगर निगम मुख्यालय में स्थित कर संग्रह केन्द्र में सम्बन्धित जोन के काउन्टर पर कार्यलय दिवस में प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक जमा किया जायेगा। भरे गये प्रपत्रों की जांच की जायेगी। यदि जांच में विवरण त्रुटिपूर्ण पाया गया तो देय कर के अन्तर की धनराशि का चार गुना शास्ति के रूप में अधिरोपित किया जायेगा।

पुनः स्पष्ट करना है कि बकाया न होने पर तथा नियत तिथि तक प्रपत्र व देयकर जमा करने वालों को वर्ष 2008-09 के देयकर में 10 प्रतिशत की छूट भी दी जायगी, किन्तु यदि भवन पर पूर्व का कोई बकाया है तो बकाये के साथ ही वर्ष 2008-09 का सामान्य कर जमा किया जायेगा तथा वर्ष 2008-09 के देयकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जायगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बकाया कर पर 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय है।

आर-74/1516

उदय नारायण तिवारी
अपर नगर आयुक्त

मणि प्रसाद मिश्र
नगर आयुक्त

सामान्य कर/गृहकर का बकाया जमा कर
• 12% ब्याज से बचें

2008-09 का कर जमा करके
• 10% छूट प्राप्त करें

सामान्य कर (गृहकर) जमा करके कानपुर महानगर व अपने वार्ड के विकास हेतु अपने दायित्व का निर्वहन करें।